कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0 प्र0।
परिपत्रांक सी-29 /अधि0--/स्टे0 दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 13 ,2016

1. प्रबन्ध निदेशक,
   समस्त शीर्ष सहकारी संस्थायें, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारी समितियाँ, उ0प्र0।

विषयः--उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 214/49--3--2005 दिनॉकः01 फरवरी, 2005 के क्रम में सहकारी क्षेत्र का समस्त प्रिन्टिंग कार्य सहकारी क्षेत्र में स्थापित प्रेसों से कराये जाने की व्यवस्था।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांक सी--3/अधि0/स्टे0/05--06 दिनॉक 15.04.2005 का संदर्भ लें, जिसके प्रस्तर 2 में मुद्रण कार्य करने वाली संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार--

"सहकारी क्षेत्र की सभी संस्थाओं/सहकारी शीर्ष संस्थाओं की स्टेशनरी का समस्त मुद्रण कार्य केवल अधोलिखित सहकारी संस्थाओं/समितियों (जहॉ शासकीय सेवक या निबन्धक द्वारा अनुमोदित अधिकारी सचिव/प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत हों) के वर्तमान समय में उनके स्वयं स्वामित्वाधीन संचालित प्रेस से कराया जायेगा।"

उपर्युक्त प्रस्तर में स्पष्ट किया गया है कि, उन्हीं सहकारी संस्थाओं/समितियों के स्वयं स्वामित्वाधीन संचालित प्रेस से मुद्रण कार्य कराया जायेगा, जहॉ शासकीय सेवक या निबन्धक द्वारा अनुमोदित अधिकारी सचिव/प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत हों। परन्तु ऐसे प्रकरण प्रकाश में आयें हैं कि कतिपय सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसी सहकारी संस्थाओं से मुद्रण कार्य कराया जा रहा है, जहॉ शासकीय सेवक प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत नहीं हैं। इस प्रकार पूर्व निर्गत परिपत्र दिनॉक 15.04.2005 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। जो उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, परिपत्र सं0 सी--3/अधि0/स्टे0/ 05--06 दिनॉक 15.04.2005 में उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिबन्ध का कड़ाई से पालन किया जाय।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक सी-29/अधि0--/स्टे0 दिनांकः लखनऊः अक्टूबर ,2016

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, उ0 प्र0, मुख्यालय लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
5. समस्त जिला लेखा सम्प्रेक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0।
6. समस्त लेखाकार, कार्यालय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0।

(एस0सी0 द्विवेदी)
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(बैंकिग),
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।